

न्यायालयः अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, बदायूँ  
पीठासीन अधिकारीः अभिषेक कुमार-III (उ०प्र० न्यायिक सेवा)JO Code : UP 3780

आपराधिक वाद संख्या:171/2025

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन।

## प्रति

- 1- श्यामपाल पुत्र प्रेमपाल।
- 2- भारत सिंह पुत्र प्रेमपाल।
- 3- मौजी उर्फ राजवीर पुत्र भारत सिंह।
- 4- मुनीशपाल पुत्र सत्यराम।

उपरोक्त समस्त निवासीगण ग्राम मदारपुर, थाना जरीफनगर, जिला बदायूँ।

.....अभियुक्तगण।

अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या-135/2024

अन्तर्गत धारा- 323, 324, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता

थाना जरीफनगर, जिला बदायूँ।

उ०प्र० राज्य अधिवक्ता: अभियोजन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सिंघल।

अभियुक्तगण विद्वान अधिवक्ता: श्री हरेन्द्र सिंह यादव।

प्रस्तुतीकरण दिनांक: 16.01.2025

पंजीकरण दिनांक: 16.01.2025

निर्णय दिनांक: 23.03.2026

## निर्णय

1- प्रस्तुत वाद अभियुक्तगण श्यामपाल पुत्र प्रेमपाल, भारत सिंह पुत्र प्रेमपाल, मौजी उर्फ राजवीर पुत्र भारत सिंह तथा मुनीशपाल पुत्र सत्यराम निवासीगण ग्राम मदारपुर, थाना जरीफनगर, जिला बदायूँ के विरुद्ध थाना जरीफनगर पुलिस जिला बदायूँ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-135/2024 धारा- 323, 324, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाकर विचारण हेतु न्यायालय में संस्थित किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि घटना दिनांक 09.05.2024 समय करीब सुबह 07.00 बजे प्रार्थी के चाचा बादाम सिंह पुत्र रामफल, ताई रामकली पत्नी सैतान, चचेरा भाई मोहरपाल पुत्र सैतान अपने खेत पर जा रहे थे। रास्ते में श्यामपाल पुत्र प्रेमपाल, भारत सिंह पुत्र प्रेमपाल, मौजी पुत्र भारत सिंह तथा मुनीशपाल पुत्र सत्यराम ने गाली गलौज करते हुए लाठी डन्डों से मारपीट की, जिससे प्रार्थी के चाचा, ताई व चचेरे भाई के सिर व शरीर में खुली व गुम चोटें आईं। उपरोक्त लोग प्रार्थी के चाचा को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

3- वादी मुकदमा की उक्त लिखित सूचना के आधार पर थाना हाजा पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०-135/2024 अन्तर्गत धारा- 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की गयी। चुटैल की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने तत्पश्चात विवेचक द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना में घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया गया। वादी, चुटैल व गवाहान के बयानात अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने व मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात विवेचक द्वारा मु०अ०सं०-उपरोक्त में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 323, 324, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2025 को मामले का संज्ञान लिया गया।

4- अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। उन्होंने अपनी जमानतें कराईं। अभियुक्तगण को धारा-207 दं०प्र०सं० के तहत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दिये जाने के

पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2025 को आरोप अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

5- अभियोजन की ओर से साक्षीगण पी0डब्ल्यू0-1 के रूप में संजू पुत्र सुल्तान तथा पी0डब्ल्यू0-2 के रूप में रामकली पत्नी शैतान, पी0डब्ल्यू0-3 के रूप में बादाम सिंह पुत्र रामपाल तथा पी0डब्ल्यू0-4 के रूप में मोहरपाल पुत्र शैतान को परीक्षित कराया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के औपचारिक निष्पादन को स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

6- अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांकित 23.02.2026 अंकित किये गये। जिसमें उन्होंने अभियोजन घटना को झूठा बताया तथा सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया।

7- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

8- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि चूंकि अभियोजन साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

9- विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियोजन की ओर से चार साक्षीगण को परीक्षित कराया है एवं अभियोजन के केस को साबित करने के लिये साक्षियों की संख्या नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि परीक्षित साक्षी के साक्ष्य की गुणवत्ता को देखा जाना चाहिए। वर्तमान परिवेश में पीड़ित पक्ष ही अपना पक्ष रखने का साहस कर पाता है। ऐसी स्थिति में यदि एक ही साक्षी अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये पर्याप्त है तो अन्य साक्षियों को परीक्षित कराने से मात्र तथ्यों का दोहराव ही होगा।

10- पी0डब्ल्यू0-1 साक्षी वादी मुकदमा संजू पुत्र सुल्तान ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 09.05.2024 सुबह करीब 7 बजे उसके चाचा बादाम सिंह, ताई रामकली, तथा भाई मोहरपाल खेत पर जा रहे थे तभी गांव के मुल्जिमान श्यामपाल, भारतसिंह, मौजी, उर्फ रामवीर तथा मुनीश पाल ने मारपीट की। घटना के संबंध में उसने थाने पर रिपोर्ट लिखा दी। तहरीर कागज संख्या 4क/4 पत्रावली में संलग्न है। जिस पर अपने हस्ताक्षर तस्दीक करता तथा प्रदर्श क1 डाला गया।

11- इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा के विलकुल व्यतिरेक कथन करते हुआ कहा है कि घटना के समय वह मौके पर नहीं था। घटना की जानकारी उसे बाद में हुई। अपने परिवार के लोगों के बताये अनुसार उसने थाने पर रिपोर्ट लिखा दी। उपरोक्त मुल्जिमान से केवल कहा सुनी हुई। उसके सामने हाजिर अदालत उपरोक्त मुल्जिमान ने उसके साथ या उसके परिवार वालों के साथ कोई मारपीट या गाली गलौज नहीं की और न ही जान से मारने की धमकी दी। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

12- पी0डब्ल्यू0-2 साक्षी रामकली पत्नी शैतान ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से करीब डेढ़ साल पहले उसके जिठोत संजू के साथ मुल्जिमान श्यामपाल, भारत सिंह, मौजी उर्फ रामवीर तथा मुनीश के साथ कुछ कहा सुनी हो गयी। शोर शरावा सुनकर उन लोगों ने जाकर बीच बचाव करा दिया। उसके सामने उपरोक्त मुल्जिमान व संजू के साथ या उसके साथ मारपीट या गाली गलौज नहीं की। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13- साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह गवाह को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने अपने बयान 161 दं०प्र०सं० के साथ अन्य कथनों से भी इन्कार किया।

14- पी०डब्ल्यू०-3 साक्षी **बादाम सिंह पुत्र रामपाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से डेढ़ साल पहले जब वह रामकली तथा कुंवरपाल अपने खेत पर जा रहे थे तो रास्ते में मुल्जिमान श्यामपाल, भारत सिंह, मौजी उर्फ रामवीर तथा मुनीश पाल के साथ पुरानी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी। शोर शरावा होने पर आसपास के लोगों ने आकर बीच बचाव करा दिया। काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी। भीड़ में धक्का मुक्की होने के कारण उसे कुछ चोटे आ गयी। सरकारी अस्पताल बदायूं में डॉक्टरी मुआयना कराया। उपरोक्त मुल्जिमान ने उसके साथ कोई मारपीट या गाली गलौज नहीं की। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

15- साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह गवाह को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने अपने बयान 161 दं०प्र०सं० के साथ अन्य कथनों से भी इन्कार किया।

16- पी०डब्ल्यू०-4 साक्षी **मोहरपाल पुत्र शैतान** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से दो साल पहले उसके चाचा बादाम सिंह, रामकली तथा वह अपने खेत पर जा रहे थे तो रास्ते में मुल्जिमान श्यामपाल, भारत सिंह, मौजी उर्फ राजवीर तथा मुनीश के साथ कुछ कहा सुनी हो गयी। उसके चचेरे भाई संजू ने थाने पर रिपोर्ट लिखा दी। उपरोक्त मुल्जिमान ने उनके साथ कोई मारपीट या गाली गलौज नहीं की। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

17- साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह गवाह को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने अपने बयान 161 दं०प्र०सं० के साथ अन्य कथनों से भी इन्कार किया।

18- प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त साक्षीगण पी०डब्ल्यू०-1 **संजू पुत्र सुल्तान** जो कि वादी मुकदमा है द्वारा; अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है जबकि प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा के विल्कुल व्यतिरेक कथन करते हुए कहा गया है कि उसके सामने हाजिर अदालत उपरोक्त मुल्जिमान ने उसके साथ या उसके परिवार वालों के साथ कोई मारपीट या गाली गलौज नहीं की और न ही जान से मारने की धमकी दी एवं पी०डब्ल्यू०-2 **रामकली पत्नी शैतान**, पी०डब्ल्यू०-3 **बादाम सिंह पुत्र रामपाल** तथा पी०डब्ल्यू०-4 **मोहरपाल पुत्र शैतान**, जोकि चक्षुदर्शी साक्षीगण हैं; द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है; जिससे अभियोजन कथानक की सम्पुष्टि होती हो। अतः साक्षीगण को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित करना साबित नहीं होता है तथा सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध हो जाती है।

19- The burden of proof is defined under Section 101 of the Indian Evidence Act:- “Anyone who wants a court to rule on a legal right or liability based on facts he claims must first show that such facts exist. The second Part of the Section specifies that when a person is required to show the existence of a fact, that person shall also bear the burden of proof. As a result, a person seeking a favourable decision from the court must provide evidence in support of his case, according to the provision. The usual rule is that the party that asserts a truth bears the burden of proof, not the side that denies it.

20- In criminal trials, the prosecution bears the duty of establishing the accused's guilt, and they must do it beyond a reasonable doubt. The plaintiff has the burden of proving his case by a majority of the evidence in civil cases. But If the prosecution fails to prove the accused's guilt beyond a reasonable doubt, the accused is entitled to an acquittal.

21- यद्यपि अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है, परंतु मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार किये जाने मात्र से अभियोजन कथानक को अन्यथा साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं माना जा सकता है।

22- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सुप्रसिद्ध विधिव्यवस्था **Nallapati Sivaiah Vs Sub Divisional Officer, Guntur AIR 2008 SC 19.** में अवधारित किया गया है कि

-: The onus and duty to prove the case against the accused was upon the prosecution and the prosecution must establish the charge beyond reasonable doubt. It is also a cardinal principle of criminal jurisprudence that if there is a reasonable doubt with regard to the guilt of the accused then he is entitled to benefit of doubt resulting in acquittal of the accused.

23- उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है और अभियुक्तगण लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

24- अभियुक्तगण श्यामपाल पुत्र प्रेमपाल, भारत सिंह पुत्र प्रेमपाल, मौजी उर्फ राजवीर पुत्र भारत सिंह तथा मुनीशपाल पुत्र सत्यराम निवासीगण ग्राम मदारपुर, थाना जरीफनगर, जिला बदायूं के विरुद्ध थाना जरीफनगर पुलिस जिला बदायूं द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-135/2024 धारा- 323, 324, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है, उनके जमानतनामे व बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं, जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

25- अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437-ए-(1) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकन 25,000/- रु० का निजी बंध-पत्र तथा इसी धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करें, जो आगामी छह माह तक प्रभावी रहेंगे।

Date : 23-03-2026

(अभिषेक कुमार-III)  
अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट  
सहसवान जनपद बदायूं  
J.O.CODE.UP3780

26- उपर्युक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

Date : 23-03-2026

(अभिषेक कुमार-III)  
अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट  
सहसवान जनपद बदायूं  
J.O.CODE.UP3780